

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 5701 / 1073

दिनांक :- 14.09.2022

कार्यालय आदेश

श्री सुरेन्द्र सिंह [लिंक न. 5701] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय जिला कलक्टर (भू अभिलेख), राजस्व विभाग, झुंझुनूं - [9924] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 29/03/2001 से 03/04/2001 तक 6 दिवस
दिनांक 14/04/2001 से 30/04/2001 तक 17 दिवस
दिनांक 06/05/2001 से 31/05/2001 तक 26 दिवस
दिनांक 02/06/2001 से 30/08/2001 तक 90 दिवस
दिनांक 02/09/2001 से 07/02/2002 तक 159 दिवस
दिनांक 09/02/2002 से 10/06/2002 तक 122 दिवस
दिनांक 12/06/2002 से 12/07/2004 तक 762 दिवस

कुल 1182 दिवस

उक्त कुल 1182 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री सुरेन्द्र सिंह की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 5701 / 1073

दिनांक :- 14.09.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर (भू अभिलेख), राजस्व विभाग, झुंझुनूं
2. कोषाधिकारी झुंझुनूं
3. श्री सुरेन्द्र सिंह [5701] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय जिला कलक्टर (भू अभिलेख), राजस्व विभाग, झुंझुनूं
4. निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)